प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टान्त वे हैं जो वर्ष 2017-18 के दौरान लेखों की जांच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परंतु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी जहाँ आवश्यक था सम्मिलित किया गया है।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।